

**समाह्वरणालय, बेगूसराय।**  
(कल्याण प्रशाखा)

(नामांकन सूचना संख्या-02/2026-27)

**अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, बी०पी० इन्टर स्कूल परिसर,  
बेगूसराय में नामांकन हेतु विज्ञापन**

प्रवेशिका उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को आवासन एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु बेगूसराय जिला अन्तर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, बी०पी० इन्टर स्कूल परिसर, बेगूसराय, में निर्मित है। छात्रावास में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं की विवरणी अधोलिखित रूप से है-

क्र०	छात्रावास का नाम	कोटि	आवासन क्षमता	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, बी०पी० इन्टर स्कूल परिसर, बेगूसराय।	60%-EBC (जिसमें 5% आसन दिव्यांग के लिए) 40%-BC	100	25

उक्त छात्रावास में उनके आवासन क्षमता एवं रिक्त स्थानों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन तिथि से **20 कार्य दिवस** तक जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, बेगूसराय में प्रत्येक कार्य दिवस को **02:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक** आवेदन लिया जाएगा।

**नामांकन की शर्तें:-**

1. आवेदिका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा के छात्रा हो।
2. आवेदिका बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
3. आवेदिका बेगूसराय जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. अर्हता प्राप्त आवेदिकाओं में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रा को प्राथमिकता दी जायेगी एवं समान प्राप्तांक होने की स्थिति में निम्न आय वाले अभिभावक के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. आवेदक <https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx> पर ऑनलाईन आवेदन कर पावती कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

**आवेदन की प्रक्रिया:-**

1. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में हस्तलिखित/टंकित होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
  - (i) आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो दो प्रति में।
  - (ii) आवेदिका का जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  - (iii) बेगूसराय जिला स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य की छायाप्रति।
  - (iv) आधार कार्ड की छायाप्रति।
  - (v) विगत परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (vi) बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड सहित)।
  - (vii) आवेदन पत्र अध्ययनरत संस्थान के प्राचार्य द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है।
  - (viii) चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग  
कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय।

विस्तृत जानकारी [www.state.bihar.gov.in/prdbihar](http://www.state.bihar.gov.in/prdbihar) पर देखी जा सकती है।